25/4/22 पत्रावली पेश हुयी। वकील पार्थी को आगामी लगाई गई। बार-बार आगामी लगाने के बावजूद भी वकील पार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर आवेदन पत्रिका का आदेश ६।५ A आदेश पत्रावली में स्थगित किया जाता है। पत्रावली कौलवा शुमार होकर वास्ते पेश होकर वकील पार्थी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ